न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 263/2016 निर्णय दिनांक :– 19-12-19

उनवान

1. जगदीश नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चंदलाई, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. अर्जुन लाल पुत्र छोटूलाल
2. श्रवण पुत्र छोटूलाल
3. लालाराम पुत्र छोटूलाल

समस्त जाति माली, समस्त निवासीयान, ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील ~~कोटखावदा~~ चाकसू जिला जयपुर।.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि.. यह कि वादी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 3974 रकबा 0.06 है0 भूमि वाके ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। यह कि वादी की खातेदारी आराजी से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता या संबंध नहीं हैं। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा करीबन 200.00 वर्गगज भूमि पर जबरन एत्थर एवं डेरे डाल रखे है जबकि वादी द्वारा सीमाज्ञान तथा पत्थशगढ़ी व ई.टी.एस. मशीन से भी नाप चौक करवा लिया। उसके बायजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर करीबन 200.00 वर्ग गज भूमि पर ई.टी.एस. से नाम चौक करवाने के पश्चात कब्जा कर लिया। जबकि मिन प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई वास्ता नहीं है। न ही इनकी खातेदारी भूमि है। जिससे वादी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी द्वारा बादग्रस्त आराजी की नाप–चोक ई.टी.एस. मशीन से दिनांक 27.06.2016 व 03.08.16 को करवाया गया था। उस समय भूमि पर मिन प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

था। परन्तु नाप चौक होने के पश्चात दिनांक 20.08.2016 को मिन प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में से करीबन 200.00 वर्गगज भूमि पर जबरन पत्थर व डेरे डालकर रात्रि के समय कब्जा कर लिया। वादी को मालूम हुआ तो वादी इन पत्थरो व डेरे को हटाने लगा तो मिन प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और कहा कि हमने जबरन कब्जा कर लिया है। तुम चाहे सो कर लेना। हम कब्जा नहीं हटाने देगे तथा कई तरह की धमकिया सरेआम देने लग गये। यह कि वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में से 200.00 वर्गगज पर मिन प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा से बेदखल करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वो वादी को काश्त करने से नहीं रोके ना ही किसी तरह की दखलंदाजी एवं मजाहमत पैदा नहीं करे। ना ही ऐसा स्वंय करे, ना ही अन्य से करावे। यह कि वादी के लिये वाद कारण दिनांक 20.08.2016 को मिन प्रतिवादीगण द्वारा करीबन 200 वर्गगज भूमि पर जबरन पत्थर व डेरे डाल देने पर तथा हटाने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित कृषि श्रीमान के न्याय क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वादपन्न सुनने व निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार विधि से प्राप्त है। वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र उचित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। वाद वादी पेश कर निवेदन किया कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 3974 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू जिला जयपुर पर प्रतिवादीगण द्वारा करीबन 200.00 वर्गगज भूमि पर किया गया कब्जा पर से बेदखल करवाया जावे तथा वादी को बाजौत करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो जबरन कब्जा नहीं करे, ऐसा ना तो स्वंय करे ना ही अन्य से करावे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी तो प्रतिवादीगण हाजीर आये व दावे का जवाब दावा निम्नानुसार पेश किया गया कि वाद पत्र की मद सं. 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 02 में जिस जा से तथ्य वर्णित किये है मिथ्या काल्पनिक व मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है क्योकि वादी अपने स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त विवादित खसरा नंबर पर खाम मकानात व चार दीवारी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है व प्रतिवादीगण की तरफ उनके स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबर 3972 में वादी को कोई हक व अधिकार नहीं है कि वह उनके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के स्वामित्व के खसरा नंबर की तरफ पुख्ता चार दीवारी बना लेने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उक्त मद में वर्णित तथ्य काल्पनिक तौर पर वर्णित किये है जो अस्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 03 में जिस प्रकार से तथ्य वर्णित किये है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादी मान्य न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश कर प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबर 3972 में से अनाधिकृत रूप से भूमि हडपना चाहता है। इसलिये वादी ने मान्य न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य छिपाते हुये दावा पेश किया है जबकि मौके पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रतिवादीगण अपने स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि आराजी भूमि पर काबिज है व वादी ने अपने नाम दर्ज कृषि आराजी भूमि पर पुख्ता मकानात व चार दीवारी बनाकर निवास कर रहे है। वाद पत्र के मद नं. 04 तथ्य अस्वीकार है क्योकि वादी को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि आराजी भूमि से जबरन बेदखल करे व उनके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा –कारित करें। वादी ऐनकेन प्रकारेण मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि आराजी भूमि को हडपना चाहते है। जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। वाद पत्र के मद नं. 05 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ जिसका विस्तृत जवाब ऊपर वर्णित मदात में दिया अनुसार है। यह–कि वाद पत्र के मद नं. 06,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

07 व 08 कानूनी होने से जवाब के मोहताज नहीं है। वाद पत्र के मद नं. 09 में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का वादी किसी प्रकार का अधिकारी नहीं है। जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे व वादी को पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नंबर 3972 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करे ना ही उन्हे हैरान व परेशान करे। प्रतिवादी का जवाब दावा पेश होने पर दावा व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 3974 रकबा 0.06 है0 के करीबन 200 वर्गगज भूमि पर प्रतिवादगण ने जबरन कब्ज कर लिया जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है।

–वादी

2. आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 3974 के 200 वर्गगज भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का वादी विधिक अधिकारी है।

–वादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

3. आया वादग्रस्त खसरा नम्रब 3974 पर वादी ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है। वादी को प्रतिादीगण के खसरा नम्बर 3972 पर जबरन कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार नही है।

—प्रतिवादी

तनकीयात कायम कर दावे व जवाब दावे के समर्थन में वादी व प्रतिवादी से साक्ष्य ली गयी तो वादी ने अपने समर्थन में वादी स्वयं जगदीश, धन्नाराम, रामपाल एवं रामगोपाल के साक्ष्य करवाये जाकर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लगाई गयी तो साक्ष्य प्रतिवादी को चार अवसर देने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी नही कराने पर दिनांक 18.11.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस पर रखी जाकर दिनांक 04.12.2019 को पक्षकारान वकील की बहस दावा वादी सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करने हुये कथन किया कि खातेदारी भूमि ग्राम चंदलाई में स्थित है वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा करीबन 200 वर्गगज भूमि पर जबरन पत्थर व डेरे डाल रखे है जबकि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी ई0टी0एस0 मशीन से नाप चौक करवा लिया, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर 200 वर्गगज भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

ई0टी0एस0 से नाम करवाने के उपरान्त भी कब्जा कर लिया जबकि उक्त जमीन से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही हे। न ही इनकी खातेदारी भूमि है जिसे प्रतिवादीगण को बेदखल करवाये जाने के आदेश दिलवाये जाकर दावा डिक्री किया जावे। जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने वादी की बहस का खंडन करते हुये जवाब दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवादित खसरा नम्बर पर खाम मकानात व चार दिवारी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है, व प्रतिवादीगण की तरफ से उनके स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 3972 में वादी को कोई हक व अधिकार नही है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के स्वामित्व के खसरा नम्बर की तरफ पुख्ता चार दीवारी बना लेने के कारण वाद में वर्णित तथ्य गलत अंकित किये गये है। वादी प्रवितादीगण के स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 3972 में से अनाधिकृत रूप से भूमि हडपना चाहता है इसलिये वादी ने दावा झूठे तथ्य पेश किये है जबकि मौके पर ऐसी स्थिति नही है। दावा वादी खारिज फरमाया जावे। एक्सपी 3 वादी ने दावे के समर्थन में एक्सपी 1 जमाबंदी सं0 2069–72 खाता संख्या नक्शा ट्रेस, एक्स पी 3 ई0टी0एस0 सीमाज्ञान रिपोर्ट के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। पक्षकारान वकील की बहस

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पर गौर किया व दस्तावेजात एवं गवाहो के बयानो का परीक्षण किया गया तो तनकीयात निर्णय निम्नानुसार है :—

तनकी नम्बर 1 :— आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 3974 रकबा 0.06 है0 के करीबन 200 वर्गगज भूमि पर प्रतिवादीण्गा ने जबरन कब्जा कर लिया जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है :— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो जमाबंदी एक्स पी 1 ग्राम चंदलाई संवत 2069—72 के खाता संख्या 283 में दर्ज अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसको ~~वादी~~ ई0टी0एस0 मशीन द्वारा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवायी गयी जो एक्स पी 2 सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट एवं एक्स पी 3 नक्शा ट्रेस पेश किया गया है जिससे भी साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है इस बाबत गवाह वादी जगदीश स्वयं ने अपनी जिरह में खसरा नम्बर 3974 मेरा है जिसमें मकान बना रखे। खसरा नम्बर 3972 प्रतिवादीगण के है उनकी जमीन से मेरा कोई लेना देना नही है। खसरा नम्बर 3974 के उत्तर की तरफ प्रतिवादीगण ने पत्थर डाल रखे, मशीन से नाप जोक हुई तब खसरा नम्बर 3974 पर मेरा ही कब्जा था, मशीन की नाम जोक हुई तब खसरा नम्बर 3974 में मेरा मकान बन चुका था, इसी प्रकार अन्य गवाहो ने भी जिरह में वादी की जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना व पत्थर डालने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वाली बात अपनी जिरह में कही गयी जो प्रतिवादी वकील जिरह में नही तोड सके जबकि प्रतिवादी ने वादी की जमीन में कब्जा किया या नही इस बाबत साक्ष्य नही करवायी गयी जिससे तनकी नम्बर 1 वादी साबित करने में सफल रहने से तनकी नम्बर 1 वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 3974 के 200 वर्गगज भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का वादी विधिक अधिकारी है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में तय किये जाने व वादी की भूमि खसरा नम्बर 3974 में 200 वर्ग गज भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा करने बाबत साबित होने से प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर किये गये 200 वर्गगज भूमि से कब्जा हटाकर व प्रतिवादी को बेदखल कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी नम्बर 2 वादी विरूद्ध प्रतिवादीण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3. :– आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 3974 पर वादी ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है। वादी को प्रतिादीगण के खसरा नम्बर 3972 पर जबरन कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार नही है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न तो तनकी को साबित करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य करवायी न ही दस्तावेज पेश किये जबकि वादी ने जिरह में प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 3972 पर कब्जा करने से साफ इंकार किया है इस प्रकार तनकी नं0 3 वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 1 से 3 व वादी के पक्ष में निर्णय करने व गवाहो के बयानात एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3974 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू पर प्रतिवादीगण द्वारा करीबन 200 वर्गगज भूमि पर किये गये कब्जे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है व वादी को बाजोत करवाये जाने के आदेश दिये जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे ऐसा ना तो स्वयं कर ना अन्य से करावे । निर्णय अनुसार डिक्री की जारी हो, निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: